पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड मोथरोवाला, देहरादून।

विज्ञप्ति संख्या 1789/स्था०एक/रि०वे०को०/2022–23 दिनांक 07 जुलाई, 2022

''विज्ञप्ति''

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सेना के रिमाउण्ट वेटरिनरी कोर में पन्द्रह वर्ष (15 वर्ष) की नियमित सेवा करने वाले श्रेणी–1 एवं श्रेणी–2 के सेवानिवृत्त ड्रेसरों से निम्न विवरणानुसार पशुधन प्रसार अधिकारी के पद हेतु आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते हैं :–

पदनाम/वेतनमान	**श्रेणीवार रिक्त पदों का विवरण**				
पशुधन प्रसार अधिकारी, वेतन लेवल–6(35400–112400)	**अ०जा०**	**अ०ज०जा०**	**अ०पि०व०**	**सामान्य**	**योग**
	08	02	04	04	18

इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 31.07.2022 (सांय 05.00 बजे) तक **''निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड मोथरोवाला, पो०ओ० मोथरोवाला, देहरादून''** के पते पर प्रेषित कर सकते हैं। **आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइड www.ahd.uk.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।**

निदेशक,
पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून।

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों पर सेना के रिमाउण्ट वेटरिनरी कोर से सेवानिवृत्त श्रेणी–1 एवं श्रेणी–2 ड्रेसरों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

विज्ञप्ति संख्या............/दिनांक.............जुलाई, 2022

1. आवेदक का पूरा नाम (अ) हिन्दी में (देवनागरी लिपि में)..

   (ब) अंग्रेजी के बडे अक्षरों में

2. पिता का नाम (अ) हिन्दी में (देवनागरी लिपि में)..

   (ब) अंग्रेजी के बडे अक्षरों में

3. आर्मी नं० एवं रैंक ....

4. आर्मी में नियुक्ति की तिथि ....

5. आर्मी से सेवानिवृत्ति की तिथि..

6. स्थाई पता (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)

7. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)

8. दूरभाष नं०..

9. आवेदक के हस्ताक्षर (बॉक्स के भीतर)

10. उत्तराखण्ड राज्य में स्थित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के कार्यालय का नाम (जहाँ से भूतपूर्व सैनिक का पंजीकरण किया गया है)..एवं पंजीकरण संख्या................................
दिनांक..

11. क्या आप जन्म तथा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं ?..

12. यदि आप आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग) के सदस्य हैं तो उस श्रेणी का उल्लेख कर (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति भी संलग्न करें)................................

13. क्या आप विवाहित हैं ?..

14. यदि हाँ तो क्या आपकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ है(पुरूष अभ्यर्थी के लिए)................................

15. शैक्षिक योग्यता का विवरण(शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों एवं अंकतालिकाओं की प्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करें)–

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

16. सेना में विभिन्न पदों पर की गई सेवाओं का विवरण :–

क्र.सं.	सेना के रिमाउण्ट वेटरिनरी कोर में वेटरिनरी ड्रेसर श्रेणी–1 एवं श्रेणी–2 के पद पर की गयी सूवाओं का विवरण			
	पदनाम	सेवा विवरण		कुल सेवा अवधि
		कब से	कब तक	

17. क्या किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा आपको कभी दण्डित किया गया है, हाँ/नहीं ....यदि हाँ तो वह दण्ड क्या था और किन परिस्थितियों में मिला..

18. वांछित प्रमाण पत्र :–

1. शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति।
2. पहचान पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
3. उत्तराखण्ड राज्य में स्थित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के कार्यालय द्वारा निर्गत भूतपूर्व सैनिक पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
4. प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
5. पी०पी०ओ० की प्रमाणित छायाप्रति।
6. स्थाई निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
7. आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।

19. आवेदक द्वारा घोषणा :–

मैं...पुत्र श्री..यह घोषणा करता हूँ कि मैंने विज्ञप्ति में उल्लिखित सभी पात्रता एवं शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ा है। इस आवेदन पत्र में जो विवरण मेरे द्वारा दिया गया है वह पूर्णतः सत्य है और यदि उपरोक्त सूचना तथा प्रमाण पत्रों, आदि में कोई भी कथन असत्य पाया जाता है तो मैं अप्राप्त ठहरा दिया जाँऊगा और यदि चयन के बाद मैं नियुक्त हो गया तो मेरी नियुक्ति रद्द करते हुये मुझे सेवा से पृथक कर दिया जाय एवं मेरे विरूद्ध समुचित कार्यवाही किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा स्वयं का होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर..............................

स्थान ....

आवेदक का पूरा नाम.............................

दिनांक...

पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड मोथरोवाला, देहरादून।

विस्तृत विवरण

उत्तराखण्ड पशुपालन विभाग, पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट विकास सेवा नियमावली, 2009 में निहित प्राविधानों के अनुसार पशुधन प्रसार अधिकारी के 05 प्रतिशत पदों को सेना के रिमाउण्ट वेटरिनरी कोर में पन्द्रह वर्ष (15 वर्ष) की नियमित सेवा करने वाले श्रेणी–1 एवं श्रेणी–2 के सेवानिवृत्त ड्रेसरों से निम्न विवरणानुसार पशुधन प्रसार अधिकारी के पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

पदनाम/वेतनमान	श्रेणीवार रिक्त पदों का विवरण				
पशुधन प्रसार अधिकारी, वेतन लेवल–6(35400–112400)	अ०जा०	अ०ज०जा०	अ०पि०व०	सामान्य	योग
	08	02	04	04	18

पशुधन प्रसार अधिकारी के उपरोक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक सेना के सेवानिवृत्त वेटरिनरी ड्रेसर, जो सेना के रिमाउण्ट वेटरिनरी कोर से वेटरिनरी ड्रेसर (श्रेणी–1 एवं श्रेणी–2) के पद पर पन्द्रह वर्ष (15 वर्ष) की नियमित सेवा करने के उपरान्त सेवानिवृत्त हुये हों तथा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी भी जनपद के अन्तर्गत जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के कार्यालय में पंजीकृत हों, निर्धारित प्रारूप में ए–4 साईज के पेपर पर वांछित प्रमाण पत्रों सहित आवेदन कर सकते हैं।

➢ **वांछित प्रमाण पत्र :–**

1. शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति।
2. पहचान पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
3. उत्तराखण्ड राज्य में स्थित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के कार्यालय द्वारा निर्गत भूतपूर्व सैनिक पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
4. प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
5. पी०पी०ओ० की प्रमाणित छायाप्रति।
6. स्थाई निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
7. आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।

➢ **आवेदन पत्र की अंतिम तिथि** :आवेदन पत्र **''निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड मोथरोवाला, पो०ओ० मोथरोवाला, देहरादून''** के कार्यालय में दिनांक 31.07.2022 (सांय 05.00 बजे) तक केवल रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं, अन्य माध्यमों से तथा निर्धारित तिथि/समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।

➢ **अधिकतम आयु सीमा** : उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु के लिये ''उत्तर प्रदेश (भूतपूर्व सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की वर्ग ''ग'' एवं ''घ'' सेवाओं में ओर पदों पर रिक्तियों का आरक्षण) नियमावाली, 1977 में निहित प्राविधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिक को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त, जिसके लिये वह नियुक्ति का इच्छुक हो, विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

निदेशक,
पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून।